

अत्यावश्यक

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur-302015, Rajasthan
Website: <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/>
e-mail: jdacad1960@gmail.com Ph 0141-2706550

क्रमांक:—एफ-7(4)विद्या संबल/अकाद/आकाशि/2021/129-32 दिनांक :- 8.4.2021

समस्त प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान ।

विषय:—विद्या सम्बल योजना के सम्बन्ध में ।

महोदय,

राज्य सरकार शिक्षण संस्थाओं में अध्यापन कार्य निर्बाध एवं सुचारु रूप से संचालित करने के लिये विद्या सम्बल योजना लागू करने जा रही है । इस हेतु वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक प06(2)वित्त/साविलेनि/2021, दिनांक 30.03.2021 के द्वारा सामान्य निर्देश जारी कर दिये गये हैं ।

इसी क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके महाविद्यालय से सम्बन्धित विषयवार शैक्षणिक स्वीकृत रिक्त पदों के विरुद्ध महाविद्यालय में वास्तविक रूप से विषयवार कितनी गैस्ट फ़ैकल्टी की आवश्यकता होगी, का आकलन कर, उसका विवरण Spread Sheet विद्या सम्बल योजना में दिनांक 17.04.2021 सांय 5.00 बजे तक आवश्यक रूप से उपलब्ध करावें।



संदेश नायक, IAS
आयुक्त
कॉलेज शिक्षा, जयपुर।

प्रतिलिपि—निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
3. वेब प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, को अपलोड करने हेतु प्रेषित है।



डॉ० सौमित्र नाथ झा
संयुक्त निदेशक (अकादमिक)
कॉलेज शिक्षा, जयपुर।